संख्या: 7/2021/I/72809/2021/46-2002(003)/2/2021

प्रेषक,

सुशील कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2021

विषय- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.25/-करोड़ (रूपए पचीस करोड़ मात्र)को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 3/2021/I/67317/2021/46-2002(003)/ 2/2021, दिनांक 28.05.2021, जिसके माध्यम से उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों यथा- अनूपशहर, बीसलपुर, पूरनपुर, तिलहर, घोसी, महमूदाबाद, बिलासपुर, बदायूँ साथा, सेमीखेड़ा एवं सुल्तानपुर के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-101-22-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ ऋण मद में प्राविधानित धनराशि रू.25/-करोड़ (रूपए पचीस करोड़ मात्र)की धनराशि को ऋण के रूप में अवमुक्त किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि उपर्युक्त शासनादेश के संलग्नक में रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु मिलवार विवरण में क्रमांक-2 पर अंकित बीसलपुर चीनी मिल के सम्मुख धनराशि रू.150.00 लाख के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू.50.00 लाख अंकित हो गयी है।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28.05.2021 के संलग्नक में क्रमांक-2 पर बीसलपुर चीनी मिल के सम्मुख अंकित धनराशि रू.50.00 लाख के स्थान पर रू.150.00 लाख पढ़ा जाये।

उक्त के फलस्वरूप शासनादेश संख्या: 3/2021/I/67317/2021/46-2002(003)/2/2021, दिनांक 28.05.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in